सूचना के लोक परम्परागत साधन- एक परिचय

दयानन्द कादयान

सारांश :- **समाज के परिपूर्ण विकास के लिये सूचना एक आवश्यक व महत्वपूर्ण स्तम्भ है। मानव को सामाजिक प्राणी बनाने में सूचना स्नायुतन्त्र की भूमिका अदा करती है। आदिम युग में जब मानव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत था तो सूचना ने ही उसे एकजुट होकर समूह में रहने वाला सामाजिक प्राणी बनाया। मनुष्य ने सूचनाओं का आदान-प्रदान करके अपने जीवन को सुरक्षित व उद्देश्यपूर्ण बना लिया। सूचनाओं का प्रसार एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह होते-होते, धीरे-धीरे सम्पूर्ण विश्व में होने लग गया है। आज सभी नागरिक सूचना के महामार्गों से जुड़ गये हैं। इन महामार्गों पर सूचना और आँकड़ों के यातायात ने विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया। विकास के क्रम में सूचनाओं के माध्यम से ही नये-नये आविष्कार होते चले गये। आज जिस समाज में हम पहुँच गये हैं उसे सूचना-समाज के नाम से जाना जाता है। समृद्ध और बौद्धिक समाज आज के सूचना युग की देन है।**

महत्वपूर्ण शब्द :- **लोक, चौपाल, रिवाज, संप्रेषण, नुक्कड़, बगड, तीजन, जोहड़**

प्रस्तावना

परमात्मा ने मानव को चेतनशील प्राणी बनाया है। पाँच ज्ञानेन्द्रियों के जरिये ग्रहण की गई संवेदनाओं को तन्त्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क में ले जाया जाता है। मस्तिष्क कम्प्यूटर के सीपीयू की तरह उनका संसाधन कर एक विचार का रूप देता है। इससे नये तथ्य उत्पन्न होते हैं। इन्हें ही हम सूचना के नाम से जानते हैं। अतः सूचना एक मानवीय विचार है। कहा जाता है कि जब जानने वाला तथा जानकार के बीच कोई अन्तःक्रिया होती है तो सूचना उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब मनुष्य विचार या अन्तःक्रियायें करता है तो उसके मस्तिष्क में सूचनायें एकत्रित होती हैं। सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति या समूह में जिस जरिये से साझा किया जाता है, उन्हें ही साधन कहा जाता है। साधन को अंग्रेजी में Means कहा जाता है।

सूचना का महत्व

समाज के परिपूर्ण विकास के लिये सूचना एक आवश्यक व महत्वपूर्ण स्तम्भ है। मानव को सामाजिक प्राणी बनाने में सूचना स्नायुतन्त्र की भूमिका अदा करती है। आदिम युग में जब मानव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत था तो सूचना ने ही उसे एकजुट होकर समूह में रहने वाला सामाजिक प्राणी बनाया। मनुष्य ने सूचनाओं का आदान-प्रदान करके अपने जीवन को सुरक्षित व उद्देश्यपूर्ण बना लिया। सूचनाओं का प्रसार एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह होते-होते, धीरे-धीरे सम्पूर्ण विश्व में होने लग गया है। आज सभी नागरिक सूचना के महामार्गों से जुड़ गये हैं। इन महामार्गों पर सूचना और आँकड़ों के यातायात ने विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया। विकास के क्रम में सूचनाओं के माध्यम से ही नये-नये आविष्कार होते चले गये। आज जिस समाज में हम पहुँच गये हैं उसे सूचना-समाज के नाम से जाना जाता है। समृद्ध और बौद्धिक समाज आज के सूचना युग की देन है। इस दृष्टि से देखा जाये तो सूचना तन्त्र के विकास से प्रशासन और सरकार के स्वरूप पर विचित्र ढंग से प्रभाव पड़ा है। इससे समाज में ज्ञान व विकास के मामले में समृद्धि का वातावरण बना है।

लोक

भारतीय साहित्य में विभिन्न कालों में 'लोक' शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में इसका प्रयोग जीव एवं स्थान दोनों के लिए हुआ है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लोक शब्द का प्रयोग समस्त प्रजाजनों के लिये हुआ है। सन्तों ने लोक के साथ वेद का भी प्रयोग किया है। यहाँ लोक का अर्थ वेद के प्रतिकूल लोक-परम्परा का द्योतक है। लोक का अर्थ जनता में प्रचलित परम्परा से है।[1] डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक को परिभाषित करते हुए कहा कि- 'लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों व गाँवों में फैली हुई जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान, भावनाओं, विचारों, परम्पराओं, संस्कारों, क्रियाओं एवं मान्यताओं में सामाजिक कल्याण के सभी तत्व विद्यमान हों।'[2] लोक शब्द का तात्पर्य जन, संसार व समाज से ही होता है। इसे अंग्रेजी (परम्परा) में 'Folk' कहा जाता है। जो लोग दिखावे से दूर हटकर पुरानी स्थिति में रहते हैं, उन्हें लोक कहा जाता है।

संस्कृत शब्द कोष में परम्परा का अर्थ श्रृंखला, नियमित सिलसिला आदि बताया गया है तो वृहद् हिन्दी कोष में इसका अर्थ है - 'अटूट सिलसिला, प्रथा प्रणाली जो बहुत दिनों से चली आ रही है।[2]

❐ **लेखक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जनसंचार शोधार्थी है।**

परम्परा के शाब्दिक अर्थ को देखकर कहा जा सकता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिये जाने वाले सब विश्वास, विचार, व्यवहार, प्रकार प्रथायें जीवन मूल्य और सांस्थानिक रूप परम्परा की परिधि में परिगठित किये जाते हैं।'[3] हरियाणा में परम्परा, प्रथा, रिवाज, पद्धति, रीति, परिपाटी, रस्म, चाल, लोक, ढंग, व्यवहार आदि शब्दों को समानार्थी की तरह प्रयोग किया जा रहा है।

लोक परम्परागत सूचना साधन

सूचना-सम्प्रेषण के वे साधन जिनका इस्तेमाल आम जन, आम रीति से पीढ़ी दर पीढ़ी निर्बाध रूप से करता है। जिसके प्रयोग में किसी तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत न पड़े तथा जो सर्व साधारण की पहुँच के दायरे से बाहर न हो। सूचना की शक्ति एटम-बम से भी ज्यादा है तो सूचना के इन साधनों की चर्चा करना समय की माँग है वरना इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों के कुहासे में इनका महत्व गौण न हो जाये। इस शोधपत्र में इन सूचना साधनों का क्रमवार परिचयात्मक अध्ययन करेंगे :-

1. **मन्दिर व धर्मशाला** - मन्दिर व धर्मशालायें वे धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थल हैं जहाँ पर आमजन का समय-समय पर ताँता लगा रहता है। ये धार्मिक आस्था के केन्द्र ही नहीं सामाजिक-उत्सव, पंचायत, बैठकें व राजनीतिक चर्चा के केन्द्र रहे हैं। 'ये सूचना के ऐसे हब रहे हैं जिसकी खबरें विश्वसनीय रही हैं क्योंकि मन्दिर परिसर में अनैतिक कार्य झूठ का कोई वास्ता नहीं होता। तरह-तरह के मेले, सत्संग, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ आदि सब मन्दिरों में ही होते हैं। मन्दिरों के घण्टालों व लाऊडस्पीकरों से जनसमूह में सूचनायें प्रेषित की जाती हैं।' भारत के बहुत से गाँवों में एक से कहीं अधिक मन्दिर हैं। अतः आदिकाल से मन्दिर व धर्मशालायें सूचना आदान-प्रदान के केन्द्र रहे हैं। वर्तमान में भी इनकी प्रासंगिकता कम नहीं है।
2. **गुरुकुल व आश्रम** - वैदिक काल से ही गुरुकुल व आश्रमों से समाज संचालन के यम-नियम व खोज खबरें प्रेषित होती आई हैं। दुर्वासा ऋषि का दूबलधन आश्रम, कलायत का कपिल मुनि आश्रम, महर्षि वेदव्यास का कुरुक्षेत्र आश्रम, नालन्दा व तक्षशिला जैसे केन्द्रों से अन्तरलोकीय सूचनायें सम्प्रेषित होती थी। ये अपने समय के वैश्विक सूचना हब थे। वर्तमान में इन्द्रप्रस्थ गुरुकुल, गुरुकुल खरल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, कन्या गुरुकुल नरेला, आर्ष पाठ विधि केन्द्र गुरुकुल झज्जर आदि सैंकड़ों संस्थायें सूचना आदान-प्रदान के आदर्श केन्द्र का काम कर रहे हैं। गुरुकुल झज्जर का पुरातत्व संग्रहालय इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ने वाली सूचनाओं से भरा-पूरा है। शराब बन्दी आन्दोलन, हैदराबाद सत्याग्रह, हिन्दी आन्दोलन, गौरक्षा आन्दोलन का संचालन इसी केन्द्र से हुआ था। सुधारक, गौ-सन्देश व सर्वहितकारी इन्हीं गुरुकुलों के मुखपत्र है। अतः गुरुकुल व आश्रम आज भी सूचना के विश्वस्तरीय केन्द्र हैं।
3. **चौपाल** - यह दुमंजिली व तिमंजिली व साझली इमारत का नाम है जहाँ पर मौके-बेमौके गाँव गुहांड, सतगामा, अठगामा, बारहा, चौबीसी, चालीसा और सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत इकट्ठी होकर फैसले लेती है। भारत में शायद कोई ऐसा गाँव या नगर नहीं जहाँ गाँव शामलात भवन नहीं है। गाँव में तो पन्नों, ठोलों, पट्टियों के नाम से भी चौपालें बनी हैं। चौपाल को हम चौपाल, परस, थाई के नाम से भी जानते हैं। अर्थात् वह जगह जहाँ पर चारों ओर की पाल इकट्ठी हो। चौपालों में बारात ठहरती थी। थके-माँदे किसान व राहगीर दुपहरी का वक्त चौपालों में काटा करते थे। चौपाल में गीत-संगीत, नाटक, भजन मण्डली होते थे। सरकारी हुक्मनामा चौपाल में ही सुनाया जाता था। वृद्धावस्था पेंशन, राशनवितरण व नेत्र शिविरों का आयोजन भी चौपालों में होता है। राजनेता अपनी बात आम जन से साझा करने के लिए चौपाल रूपी सूचना प्लेटफार्म का प्रयोग करते हैं।[4] सरकारी व गैर सरकारी हर तरह की सूचनाओं का आदान-प्रदान चौपालों में ही होता है। चौपालों को सूचना मंच कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि इस मंच से सूचनायें चार दिशाओं में प्रचारित व प्रसारित होती है तथा सभी प्रकार की खबरें निर्बाध रूप से सीधी यहाँ पहुँचती हैं। यही कारण है कि प्राचीनकाल से राजनैतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता व धर्मशास्त्री इस मंच का प्रयोग अपने विचारों को साझा करने के लिए करते आये हैं।
4. **हुक्का** - हुक्के को तो देशी भाषा में देहाती-न्यूज चैनल कहा जाता है जिसमें बिजली व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जरूरत नहीं होती। इस चैनल में एन्कर व दर्शक की भूमिका इसे पीने वाले समूह जन बारी-बारी से निभाते हैं। हुक्का ऐसा सूचना साधन है जिसके सहारे समान सामाजिक वर्ग के लोग एक स्थान पर मिलकर बैठते हैं और गपशप लड़ाते हैं। बेशक इसका रिवाज नशे के लिए निकला हो मेहमानबाजी में

हुक्का सबसे पहले पेश किया जाता है। हुक्के सूचना किस्सों को संकलित कर सुमेरचन्द ने 'हुक्का पै सुणी सै'[5] किताब लिखी है, जिसके अन्दर इस देशी-न्यूज चैनल के महत्व को चित्रित किया गया है। समाज विरोधी कार्य करने पर सबसे बड़ी सजा उस अपराधी का हुक्का-पानी बन्द कर दिया जाता है अर्थात् सूचना के इस साधन से कट जाने पर व्यक्ति का सम्पर्क समाज से स्वतः खत्म हो जाता है।' प्रगतिशील व आधुनिक युग में हुक्का-न्यूजों की आज भी प्रासंगिकता है।

5. **कोल्हू** - कोल्हू सहभागिता व सहकारिता का देहाती उपक्रम है जिसमें लाणे के रूप में इकट्ठे होकर ईंख को पेरकर उससे गुड़ व गुड़ोत्पाद बनाने का इन्तजाम करते हैं। इसके हर कार्य में सामूहिकता व सहकर्मिता होती है। उत्तरी भारत के हर गाँव के गौरों में दिवाली के बाद ये स्थापित हो जाते थे तथा होली तक ये चलते थे। इस मौसम में हर प्रकार की सूचनाओं का केन्द्र कोल्हू रहे हैं। इसकी महत्ता का वर्णन पं. मांगेराम ने एक रागनी में 'माँगेराम साझला कोल्हू घर-घर छोल रहेजा सै'[6] यानी इस सहकारिता उपक्रम में लोगों की दिन-रात आवाजाही लगी रहती थी। पहले ये बैलों व ऊँट से चलते थे परन्तु अब बिजली व इंजनों से संचालित किये जाने लगे हैं। चाहे इनका कार्य स्वरूप बदल गया हो परन्तु सूचना संचार में इनकी उपयोगिता बिल्कुल कम नहीं हुई है। यदि इसके सूचना-संचार मॉडल को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक संचार से कहीं ज्यादा पारदर्शी प्रतीत होगा। गन्ने के कोल्हू के अलावा तेलियों के कोल्हू भी सूचना स्त्रोत रहे हैं। तेली सरसों से तेल निकालने का काम कोल्हू से किया करते थे जहाँ पर ग्राम्यजनों का बदस्तूर आवागमन रहता था। अतः कोल्हू चाहे कैसा भी हो सूचना-संचार गुण में से सभी एक जैसे हैं।

6. **कुँआ** - मनुष्य ने किसी स्थान को आवास बनाने के लिये पेयजल की उपलब्धता को देखा तथा जमीन में गहरा भू-जलस्तर तक उसे गोलनुमा वृत्तीय केन्द्र को पक्का किया जिसे कुँआ कहा जाता है। कुँआ आदिकाल से ही महिलाओं की चहल-पहल का केन्द्र रहा है। कुँओं पर शाम को पनघट लगते हैं जिसमें पनिहारिनें टोलियों में गीत गाती हुई पानी भरने आती हैं। पनघट महिला सूचना चैनल कहलाते हैं जिनकी सूचना सम्प्रेष्णीयता की खूबी इस प्रकार है :-

सूचना-सम्प्रेषण का केन्द्र रहा है पनघट।
महिलाओं का यहाँ रहता है जमघट।।
गाँव की होनी-अनहोनी की होती है तकरार।
हर खुशी गमी का होता है यहाँ इजहार।।
बूढ़ी ठेरी व अल्हड़ों के बन जाते हैं टोल।
हाँसी खुशी की बातों से होता है खूब मखौल।।
नई नवेली हमउम्रों से करती हैं अन्तरंग वार्तालाप।
उनके आँगन में नये मेहमान की किलकारियों का अलाप।
पेयजल स्त्रोत के साथ है ये सूचना-हब।
पीहर, सासरे की जानकारी मिलती यहाँ सब।।'[7]

लड़के होने की खुशी में जच्चा प्रसूति गृह से पहली बार निकलने पर कुँआ पूजन के लिये जाती है। इस रस्म को कुँआ पूजन कहा जाता है। अब कन्या जन्म पर भी कुँआ-पूजन का रिवाज गाँव-देहात में प्रचलन में आ गया है।

7. **जोहड़** - ढोभ, सरोवर, तालाब, खड्ड आदि नाम से जाने जानेवाले खुले जल के स्त्रोत जिनके चारों ओर मिट्टी की पाल तथा उनके साथ रूखों की बगीची होती है। 'गाँव के चारों ओर तथा खेतों के विभिन्न सीमानों में ये खड्ड होते हैं जिनका आगार (जलक्षेत्र) तथा आगौर (जल आयोग) बड़ा फैला हुआ होता है।' 'भारत के हर गाँव में एक नहीं बहुसंख्यक जोहड़ मिलते हैं जहाँ पर बड़ व पीपल के पेड़ों के नीचे लोगों का मजमा लगा रहता है। वृक्षों की छाँवों में गपशप का दौर पूरे दिन जारी रहता है। वहीं पशु पिलाने वाले ग्रामीण जोहड़ के किनारे पर बैठकर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खबरों पर अपना तपसरा पेश करते हैं। दूसरी ओर खेतों के जोहड़ों के किनारों पर तो हाली-पाली व रुखाली इकट्ठे हो जाते हैं जो गाँव-गुहांड की खबरों की चर्चा करके अपना मूड फ्रैश करते हैं। जंगलों के जोहड़ों में तो कई गाँवों के ग्वाले व किसान इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर सुख-दुख का साँझा होना आम बात है। ये देशी सूचनारंजन (Informatainment) नहीं तो क्या है?'[8] जोहड़ तो जब आदमी घुमन्तु था उस समय से सूचना के केन्द्र रहे हैं।

8. **बगड़** - यदि चौपाल को आकाशवाणी का राष्ट्रीय या प्रादेशिक केन्द्र माना जाये तो- 'बगड़ गाँव की खबरों का सामुदायिक केन्द्र है क्योंकि एक ठोले या ढूँग के लोग बैठने-उठने के लिये साँझली जगह छोड़ लेते हैं। जिसे बगड़ या चौक कहा जाता है।'[7] इस चौक या बगड़ का नाम उस टोले के नाम पर ही रखा जाता है। यहाँ पर मोहल्ले के लोग दिन में खाली समय में गपशप करते हैं तो रात को महिलायें, सावन, फाल्गुन व साँझी के दिनों में नाचन-गायन करती हैं। मोहल्ले की किसी समस्या या विवाद को निपटाने के लिये

मोहल्ला-पंचायत स्थल भी यही बगड़ होते हैं। अतः मोहल्ले के लोग अपना सुख-दुःख यहीं पर साझा करते हैं। ठोलेदार या गाँव के खबरची बगड़-न्यूज चैनल के लिये नारद का काम करते हैं।

9. **तीजन** - मोहल्ले या ठोले की लुगाई इकट्ठी होकर चरखा कातती थीं। चरखे के सहारे महिलाओं की महफिल खूब सजती है जहाँ रुई से सूत तथा सूत को अटेरन पर इकट्ठा किया जाता है। सूत कातने के उद्देश्य से इकट्ठे होने वाले 'महिला स्थल को तीजन कहा जाता है।

गर्मियों में महिलायें जुटाती हैं तीजन।
फसलों के बाद होता है ये खली सीजन।।
सूत कताई के साथ खबरों का होता है लेन-देन।
पीहर-सासरे की सूचनायें होती है मेन।।'[9]

फेरी से कपड़े व महिला श्रृंगार प्रसाधन बेचने वालों को भी इन्हीं तीजनों की टोह होती है क्योंकि महिलाओं की टोलियाँ यहाँ इकट्ठा मिल जाती हैं। इसमें गाँव से बाहर की सूचनायें भी फेरीवालों के द्वारा सम्प्रेषित होती हैं। अतः सूचना महिलाओं के द्वारा महिलाओं को ही पहुँचाने का अच्छा साधन है तीजन।

10. **दुकानों का नुक्कड़** - गाँव देहात में दुकान भी इसी जगह लगाई जाती है। जहाँ पर नुक्कड़ लगता हो, जिससे चारों ओर के खरीददारों का आवागमन लगा रहे। देहात में ये गपशप केन्द्र सूचना नयी पुरानी करने के अच्छे केन्द्र रहे हैं। जबसे वस्तु-विनिमय की प्रणाली चली है तब से व्यापारी या दुकानदार सूचनाओं के अच्छे केन्द्र रहे हैं। व्यापारियों द्वारा समाचार-सम्प्रेषण के किस्से तो महाभारत काल से ही प्रचलित हैं।'[9] अतः गाँव-देहात के ये नुक्कड़ मिनी-न्यूज केन्द्र की भूमिका में रहे हैं। यहाँ पर सूचना माध्यमों को इलेक्ट्रॉनिक की तकनीकी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सूचना का प्रवाह मुक्तरूप से चारों दिशाओं में हो जाता है। चारों ओर की खबरें यहाँ पर ही संकलित व संग्रहित होती है।

11. **खलिहान** - अषाढ़ी व श्रावणी फसलों की कटाई के बाद गाँव के गौरे पर अनाज निकालने के लिये किसान जिस कल्लर भूमि स्थल का प्रयोग करता था उसे खलिहान के नाम से जाना जाता है। 'फाल्गुन-चैत्र व आषाढ़ कार्तिक में किसान दो-दो महीने अनाज निकालने में व्यस्त रहता था। वह दोपहर के समय वहाँ विद्यमान नीम, बड़ व पीपल के वृक्षों के नीचे महफिलें जुटाता था। वहाँ पर जो तपसरे चलते थे वे बीबीसी के मार्कटली के डिस्पैच से किसी भी तरह कम नहीं होते थे।'[10] सूचना-सम्प्रेषण के ये अच्छे साधन हुआ करते थे परन्तु मशीनीकरण के कारण अब खलिहान कुछ ही समय के लिये लगते हैं।

12. **अन्य सूचना साधन** - मणियारी की दुकान, खातोड़ (खाती के खोटवे करने का स्थान), बाल कटिंग सैलून, धानक का खड्डी केन्द्र, भड़भूजे का भाड़ आदि गाँव में सूचना के लोक परम्परागत साधन हुआ करते थे। परन्तु अब इन्होंने अपने पेशे की दुकान शुरू कर दी है जिससे इन सूचना साधनों के स्वरूप में तब्दीली आ गई है।

इस प्रकार सूचना के परम्परागत साधन सूचना के ऐसे बहु दिशाई केन्द्र होते थे जिनके सूचना-सम्प्रेषण में पारदर्शी होता था जिसकी फीडबैक भी मौके पर मिल जाती थी। सूचना के लोक परम्परागत साधनों पर विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों द्वारा शोधकार्य करवाये जा रहे हैं परन्तु हमारे यहाँ गाँव-देहात के इन सूचना साधनों पर शोधवेत्ताओं का ध्यान कम है। सूचना-प्रौद्योगिकी के युग में परम्परागत सूचना साधनों के ताने-बाने पर शोधकार्य समय की माँग है वरना सूचना के ये परम्परागत साधन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सूचना साधनों में अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष करने के लिये मजबूर हो जायेंगे।

संदर्भ-

1. (डॉ.) सन्तराम देशवालः 'हरियाणा : संस्कृति एवं कला', हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकुला (2004)
2. (डॉ.) गुणपाल सांगवानः 'हरियाणवी लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन', हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला (1989)
3. (डॉ.) महासिंह पूनियाः 'हिन्दी पत्रकारिता का बदलता स्वरूप', हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला (2005)
4. शिव प्रसाद भारतः 'जनसंचार माध्यमों में सांस्कृतिक प्रदूषण', संचार माध्यम, (जनवरी-मार्च, 1998), पृ. 18-19
5. चन्द्रकान्त सरदानाः 'अपने लोगों के लिये प्रभावी सम्प्रेषण', संचार माध्यम (जनवरी-जून 1993) पृ. 24-25
6. दिनेश श्रीवास्तवः 'गाँव-गाँव को जोड़ती सूचना तकनीक', कुरुक्षेत्र (अप्रैल 2009), पृ. 10-11
7. नितेश कुमार श्रीवास्तवः 'ग्रामीण भारत और सूचना प्रौद्योगिकी', कुरुक्षेत्र (अप्रैल 2009), पृ. 3-9
8. राजकिशन नैनः 'जाबांजों का गाँव खरकड़ा, उन्नत मस्तक वाला', हरिगन्धा (नवम्बर 2008), पृ. 71-84
9. राजकिशन नैनः 'नये दौर की नई चौपाल', रविवारीय पत्रिका, दैनिक ट्रिब्यून, चण्डीगढ़ (26 जून 2011)
10. यशपाल गुलियाः 'हरियाणा का रियासती इतिहास', हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला (2005)